आदेश की क्र0सं0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि "मौजा–कैराडीह में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं0–11, प्लौट सं0– 522 कुल रकबा– 0.39 ऐ0 पर श्री राजेशवर बैठा वो शिव बैठा पिता विश्वनाथ बैठा के द्वारा जोत–कोड किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी के बंदोबस्ती वाद सं0 140/2002–03 के अन्तर्गत दिनांक 11.09.2003 को कैराडीह के अंतर्गत उक्त खाता सं0–11, प्लौट सं0– 522 रकबा 0.39 ए0 की बंदोबस्ती उक्त रैयत श्री राजेश्वर बैठा वो शिव बैठा पिता विश्वनाथ बैठा के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा कैराडीह के मांग पंजी II के पेज सं0 183/XI पर दर्ज होकर वर्ष 2020–21 तक रसीद निर्गत है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।"

अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर वाद की कार्रवाई....समाप्त....की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

07/07/2025

अंचल अधिकारी,
मनातू।

07/07/2025

अंचल अधिकारी,
मनातू।

सेवा में,

अंचल अधिकारी

मनातू, पलामू।

विषय :- संदेहास्पद जमाबंदी केश नं०-13/2016 का जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मौजा कैराडीह में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जाँच किया। जांच में पाया कि गैरमजरुआ खास खाता संख्या 11 प्लॉट सं०-522 कुल रकबा-0.39ए० पर श्रीराजेश्वर बैठा वो शिव बैठा पिता विश्वनाथ बैठा के द्वारा जोत कोड किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी के बंदोबस्ती वाद सं०-140/2002-03 के अंतर्गत दिनांक 11.09.2003 को मौजा कैराडीह के अंतर्गत उक्त खाता सं०-11 प्लॉट-522, रकबा-0.39ए० की बंदोबस्ती उक्त रैयत श्रीराजेश्वर बैठा वो शिव बैठा पिता विश्वनाथ बैठा के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा कैराडीह के भाग पंजी-2 के पृष्ठ सं०-183/xi पर दर्ज होकर वर्ष 2020-21 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

[signature]
02.07.25
RSI

[signature]
02/07/25

[signature]
अंचल अमीन मनातू
2/07/2025

आदेश पत्रक

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	ओदश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
25.01.23	अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नही है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तद्नुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंशा के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमांबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें। अंचल अधिकारी, मनातू।	

Digitally signed by MADAN KUMAR SUMAN
Date: 2025.07.12 13:29:59 +05:30
Location: 10.181.239.97